Chap-2

द्वितीय अध्याय

हिन्दी भाषा का महत्व तथा विभिन्न आयोगों में हिन्दी का स्थान

*

:

:

:

:

:

:

:

1 भाषा की वैज्ञानिक परिभाषा

2 भाषा का महत्व

3 राष्ट्रभाषा हिन्दी का महत्व

4 हिन्दी भाषा की ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक पृष्ठभूमि ।

5 राष्ट्रभाषा की समस्या तथा संविधान में हिन्दी का स्थान ।

6 राजभाषा आयोग तथा विभिन्न आयोगों में हिन्दी का स्थान ।

7 भारत के वर्तमान राज्यों में हिन्दी की स्थिति

8 आन्ध्र प्रदेश सरकार और भाषा-नीति

निष्कर्ष

सहायक ग्रंथ सूची

द्वितीय अध्याय

1· भाषा की वैज्ञानिक परिभाषा :

भाषा के द्वारा ही मनुष्य अपने भावों को दूसरों तक पहुँचाता है और दूसरों के भावो को स्वयं-ग्रहण करता है । अतः मनुष्य अपने अपने मन के भावों और विचारों की अभिव्यक्ति और आदान-प्रदान करने के लिए भाषा की सहायता लेता है । भाषा की परिभाषा विभिन्न विद्वानों ने अलग अलग ढंग से की है – डा· किशोरीलाल शर्मा जी कहते हैं कि "भाषा आत्माभिव्यक्ति की एक सजीव, प्रवाहमान् वाग्धारा है, जिसका मूल उद्गम है हमारा हृदय जो ज्ञानेन्द्रियों के माध्यम से पार्श्ववर्ती घटनाओं, दृश्यों और पदार्थों की प्रत्यक्षानुभूति करता है ।(1) अर्थात् मनुष्य संसार के बीच रहने के कारण विभिन्न घटनाओं का प्रभाव उनके हृदय पर अंकित होता है । इन घटनाओं को मनुष्य अपने इन्द्रियों की सहायता से प्रकट करता है । अगर संसार में भाषा नहीं होती तो मनुष्य मूक बना रहता था । परन्तु जीवन के घटना-चक्र में ऐसा होना संभव नहीं है । इस प्रकार मनुष्य अपनी अनुभूतियों को बोलकर, लिखकर या किसी संकेत से दूसरों पर प्रकट करता है । साधारणतः मन के भावों को प्रकट करने का सुन्दर माध्यम भाषा ही तो है ।

इस विचार से प्रसिद्ध भाषा वैज्ञानिक डा0 बाबूराम सक्सेना जी भी सहमत हैं । उनके विचार में "जिन ध्वनि चिह्नों के द्वारा मनुष्य परस्पर विचार विनिमय करता है उनकी समिष्टि को भाषा कहते हैं ।(2) बोलते समय हमारे विचारों की पूर्ण अभिव्यक्ति ध्वनि चिह्नों से ही नहीं बल्कि इंगितों की सहायता भी होती हैं, जिससे मनुष्य अपने विचारों को कुछ हदतक

पूर्ण रूप से प्रकट कर लेता है । मनुष्य के ये संकेत शारीरिक एवं आंगिक न होकर ध्वन्यात्मक है । शारीरिक एवं आंगिक संकेतों के द्वारा कुछ इनेगिने भावों को ही प्रकट कर सकता है परन्तु ध्वनि चिह्नों के द्वारा वह अपने परम्परागत विचारों की अमूल्य निधि को सुरक्षित ही नहीं बल्कि स्पष्ट रूप से प्रकट भी कर सकता है । इससे यह स्पष्ट होता है कि भाषा स्वयं एक प्रकार का संकेत है । इसका प्रयोग मानव समाज में विचार-विनिमय के लिए होता है ।

डा0 श्रीधर मुखर्जी भी भाषा की परिभाषा को सामाजिक परिपेक्ष में देते हुए कहते हैं कि "भाषा वह साधन है, जिसके द्वारा मनुष्य अपने विचार, चिन्तन तथा अनुभवों का पूर्ण अभिव्यंजना करता है ।" (3) यह ठीक ही है कि संकेतों से मनुष्य अपने विचारों को प्रकट कर सकने पर भी भाषा के द्वारा प्रकट करने में जो पूर्णता आती है वह संकेतों में नहीं है इसका समर्थन प्रसिद्ध अंग्रेज विद्वान बैलार्ड ने किया है । उनके मतानुसार " It is infact a tool that has educated the man"(4) यह सत्य ही है कि भाषा वह साधन है जिसने स्वयं मनुष्य को शिक्षित बनाया है ।

इस संसार में मनुष्य स्वयं भाषा सीखकर नहीं आता है । उसे अपने प्रयत्न से सीखना पड़ता है । यह किसी की जन्मजात सम्पत्ति नहीं है । इसीलिए प्रसिद्ध भाषा वैज्ञानिक श्री भोलानाथ तिवारी जी कहते हैं कि "भाषा निश्चित प्रयत्न के फलस्वरूप मनुष्य के मुख से निःसृत वह सार्थक ध्वनि-समष्टि है, जिसका विश्लेषण और अध्ययन हो सके ।" (5)

इस प्रकार भाषा की परिभाषा विभिन्न विद्वानों ने अलग अलग रूप से दी है परन्तु इन सभी विद्वानों ने इस तथ्य को माना है कि

भाषा के द्वारा ही मनुष्य अपने कार्य-कलाप एवं भावों का आदान-प्रदान सार्थक ध्वनि चिह्नों के द्वारा करता है । इसको मनुष्य स्वयं प्रयत्न आदि के द्वारा सीखना पड़ता है । बिना भाषा का संसार मूक बन जाता है । भाषा की इस वैज्ञानिक परिभाषा को ध्यान में रखते हुए उसके महत्व पर ध्यान देना उचित प्रतीत होता है ।

2 भाषा का महत्व :

मनुष्य के जीवन में भाषा का अमिट प्रभाव है । भाषा के कारण मानव जाति पशु वर्ग से ऊँची है । भाषा के द्वारा ही मनुष्य इस संसार में ज्ञान विज्ञान को प्राप्त करता है । आज के ज्ञान-विज्ञान और नाना प्रकार के अविष्कार, विचार क्रिया के ही प्रतिफल हैं । मनुष्य ने अपने पूर्वजों के भाव, विचार और महत्वकांक्षाओं को भाषा के माध्यम से प्राप्त किया । इस प्रकार प्रत्येक पीढ़ी से विचारों, भावों की परम्परा भाषा के द्वारा ही हमारे हाथ सौंपा गया । इस प्रकार विचारों में परिमार्जन, परिवर्तन और परिवर्धन होता रहा । आजका युग उसीका फलस्वरूप है । समस्त ज्ञान और विज्ञान भाषा के माध्यम से ही सुरक्षित रहता है ।

भाषा का सभ्यता से घनिष्ट सम्बन्ध है । एक अर्थ में भाषा के द्वारा ही सभ्यता का विकास होता है । मानव सभ्यता और संस्कृति के विकास में भाषा का इतना हाथ है कि भाषा की कहानी को सभ्यता की कहानी कहा जाता है ।(6) श्री रमण बिहारी लाल जी कहते हैं कि "भाषा सभ्यता का प्रतिबिम्ब है ।" जैसे - जैसे मानव ने विकास किया, तैसे तैसे उसकी भाषा में भी विकास हुआ और जैसे-जैसे भाषा विकसित हुई तैसे तैसे समाज सभ्य होता गया । सभ्यता विचार का प्रतिफल होती है और विचार भाषा पर निर्भर करते हैं ।

अतः सभ्यता के विकास के लिए भाषा का अपना महत्व होता है । (7)

किसी समाज, देश अथवा राष्ट्र की सभ्यता उसके साहित्य से आँकी जाती है । साहित्य की रचना के लिए भाषा की आवश्यकता होती है । यह भाषा जितनी अधिक सशक्त और प्रभावशाली होगी उतना ही अधिक सुन्दर उसका साहित्य भी होगा । इस दृष्टि से भी भाषा का अपना महत्व है । भाषा के इस महत्व को स्वीकार करते हुए हम यह सोचेंगे कि राष्ट्रभाषा के रूप में हिन्दी का क्या महत्व है ?

3 राष्ट्रभाषा हिन्दी का महत्व :

किसी देश का जन समुदाय आपस में जिस वाणी के द्वारा अपने भावों को, विचारों का आदान प्रदान करता है उसको उस देश की राष्ट्रभाषा कहते हैं । इसका तात्पर्य यह नहीं है कि उक्त जन समुदाय एक भाषा भाषी ही हो । अवश्य ही स्थान भेद के अनुसार विभिन्न बोलियाँ भी व्यवहृत होती रहती हैं । सामूहिक रूप से इन सभी भाषाओं में भारत की आत्मा सादृश्य होती है ।

देश में एकता स्थापित करने में राष्ट्रभाषा हिन्दी का एक विशेष महत्व है । इसीके द्वारा देश के विभिन्न भागों के नर-नारी अपना विचार विनिमय कर सकते हैं और उन्हें एक दूसरे को समझने में किसी प्रकार की कठिनाई भुगतनी नहीं पड़ती है । सम्पर्क भाषा के रूप में अंग्रेजी का व्यवहार भारत में होने पर भी यह भारत की जन समुदाय की भाषा नहीं हो सकी । यह भाषा इने गिने कुछ उच्च शिक्षितों की भाषा ही रही । इस भाषा का भारत की संस्कृति से कोई संबंध नहीं है । कोई विदेशी भाषा राष्ट्रभाषा नहीं हो सकती । राष्ट्रभाषा हमारे देश में वही होनी चाहिए, जिसे जन समुदाय

समझ और बोल सके । हिन्दी को यह श्रेय है ।

भारत के अनेक राज्य एक ही विशालकाय भारत के विभिन्न अंग है । इस विशाल राष्ट्र की एक संस्कृति है, एक ऐतिहासिक परम्परा है । लगभग एक सा ही जीवन विषयक दृष्टिकोण है । एक राष्ट्रगीत, एक राष्ट्रपति एक राष्ट्रध्वज वाले देश के एक राष्ट्रभाषा की नितान्त आवश्यकता होने के कारण हिन्दी को इसका प्रतिनिधित्व करने के लिए सभी प्रान्तों के प्रतिनिधियों ने एक मत होकर चुना क्यों कि सभी लोग इस बात को जानते हैं कि अन्तरप्रान्तीय व्यवहार के लिए हिन्दी सक्षम है । इस भाषा के माध्यम से हम एक दूसरे की भावनाओं, विचारों को सुनते, समझते हुए एक दूसरे के प्रति आत्मीयता, प्रेम, अ सहानुभूति, संवेदना, एकता के भाव का अनुभव करेंगे ।

हिन्दी की समस्या भारतीय भाषा समस्या है । स्वामीदयानंद ने 1863 ई0 में वैदिक मत का प्रचार कार्य प्रारंभ किया । वे गुजरात के रहनेवाले थे और संस्कृत के प्रकाण्ड पण्डित थे । प्रारंभ में अपने भाषण आदि संस्कृत में ही दिया करते थे परन्तु भारत वर्ष का भ्रमण करते करते उन्होंने यह अनुभव किया है अपने संदेश को जन जन तक पहुँचाने के लिए एक जन भाषा का ही प्रचार करना चाहिए । उन्होंने देखा कि हिन्दी ही एक ऐसी भाषा है जो भारत वर्ष के अधिकांश भागों में समझी जा सकती हैं । उस समय से उन्होंने हिन्दी को भारत की आर्यभाषा तथा जनभाषा कहा है । महात्मा गाँधी ने भी प्रचार-कार्य के लिए हिन्दी को अपनाया ।

देश में भारतीय भाषाओं के बीच कोई संघर्ष नहीं है । 14 भाषाओं में से संस्कृत किसी क्षेत्र विशेष की भाषा नहीं है । संस्कृत का स्थान तो राष्ट्र की मूल भाषा के रूप में है । देश की कुछ भाषाएँ तो इसकी पुत्रियाँ और पौत्रियाँ

हैं और कुछ इससे प्रेरणा प्राप्त करती हैं । अब रह गई 13 भाषाएँ । हिन्दी सात राष्ट्रों की मातृभाषा है अर्थात् हिमाचल प्रदेश, हरयाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश दिल्ली और बिहार । हिन्दी की उत्तरी पश्चिमी सीमा पर पंजाबी तथा काश्मीरी उत्तर में नेपाली, उत्तर पूर्व में असामीया पूर्व में बंगला और उडिया, दक्षिण में तेलुगु और पश्चिम में गुजराती और मराठी हैं । हिन्दी और इन भाषाओं की सीमाएँ मिलती-जुलती हैं । सीमा प्रान्तों के निवासी तो दो-दो भाषाएँ जानते हैं । लाखों नर-नारी हैं, जो हिन्दी और असामिया, हिन्दी और उडिया, हिन्दी और गुजराती तथा हिन्दी और मराठी बचपन से बोलते समझते आये हैं । इस प्रकार हिन्दी भाषा का सह सम्बन्ध भारत की अन्य भाषाओं से हैं ।

हिन्दी के सर्वश्रेष्ठ मूर्धन्य कवि श्री रामधारी सिंह दिनकर जी कहते हैं कि "हिन्दी तोड़ने नहीं जोड़नेवाली भाषा है ।" हिन्दी भाषी प्रान्तों में जनपदीय भाषाएँ अनेक हैं किन्तु उनसे एकाकार होकर हिन्दी ने सभी हिन्दीभाषी प्रान्तों को एक सूत्र में बाँध रखा है । महात्मा गान्धी ने हिन्दी की इसी प्रवृत्ति से प्रभावित होकर सारे देश के लिए चुना था ।(8)

साहित्य की दृष्टि से भी हिन्दी का साहित्य केवल हिन्दुओं का लिखा हुआ नहीं है । कबीर, जायसी, रहीम और रसखान, आलम और शेख तथा मुबारक और रसलीन, ये सारे के सारे मुसलमान कवि थे किन्तु उनकी रचनाएँ हिन्दी की अनमोल निधियाँ समझी जाती है । हिन्दी के संत साहित्य में सिख गुरुओं की वाणियाँ अत्यन्त प्रमुख स्थान रखती हैं । पिछली शताब्दी में ईसाई मिशनरियों ने जब भारतीय भाषाओं की सेवायें हाथ मे लीं तब उन्होंने हिन्दी भाषा की भी इतनी उत्कृष्ट सेवा की कि हम उनके प्रति हमेशा कृतज्ञ रहेंगे ।

हिन्दी की एक विशेषता यह भी है कि मध्यकाल में बिना किसी आन्दोलन और प्रचार के अनेक प्रान्तों में फैली थी और उसके कवि गुजरात और महाराष्ट्र में ही नहीं आन्ध्र में भी उत्पन्न हुए थे । इस दृष्टि से हिन्दी पर राजाओं का उपकार कम, सन्तों का उपकार बहुत अधिक रहा है । संतों की भाषा होने के कारण ही हिन्दी आरंभ से ही सर्वदेशिक रही । संस्कृत की बरद पुत्री, भारतीयता की प्रतीक हिन्दी ही भारत की एकता की परिचायक है ।

हिन्दी की इस महत्ता को जानने के बाद इस भाषा की ऐतिहासिकता एवं सांस्कृतिक पृष्ठभूमि पर ध्यान देना आवश्यक होगा । राष्ट्रभाषा के रूप में हिन्दी का जो महत्व है उसको स्वीकार किये बिना हम नहीं रह सकते हैं । हिन्दी भाषा के इस महत्व के पीछे इस भाषा की ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक पृष्ठभूमि प्रधान भूमिका रखती है । इसलिए शोधकर्ता ने यह सोचा कि हिन्दी भाषा की ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक पृष्ठभूमि कहाँ तक इस भाषा को संपन्न बनाने में सहायक सिद्ध हुआ है ।

प्रस्तुत शोधकार्य में इसका सम्बंध आन्ध्र प्रदेश सरकार की भाषा नीति एवं भाषा समस्या से रहने के कारण यहाँ पर इसकी विवेचना करना शोधकर्ता ने उचित समझा है ।

4 हिन्दी भाषा की ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक पृष्ठभूमि :

हिन्दी की शालीनता और गौरव को हृदयंगम करने के लिए हिन्दी भाषा की ऐतिहासिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि को भी अध्ययन करना आवश्यक है । राजा हर्षवर्द्धन (सन् 606 ई० से सन् 648 ई०) के समय तक देश पर संस्कृत भाषा का आधिपत्य था । प्रसिद्ध चीनी यात्री ह्यूनसांग के अनुसार तत्कालीन नालंदा विश्वविद्यालय में शिक्षा का माध्यम भी संस्कृत भाषा ही थी । संस्कृत

भाषा विद्वानों, राज सभा और सभ्य समाज की भाषा थी । विद्वानों का एक वर्ग यह मानता है कि संस्कृत के साथ साथ जन साधारण की व्यापक भाषा प्राकृत भी प्रचलित थी । संस्कृत और प्राकृत शब्द भी इस तथ्य की ओर संकेत करते हैं । बौद्ध सम्प्रदाय और जैन मत के धार्मिक ग्रन्थ पाली भाषा में मिलते हैं, परन्तु यह मानना पड़ेगा कि पाली भाषा स्थिर न हो सकी और धर्म विशेष की भाषा बनकर सीमित रह गयी । इसे वह व्यापकता प्राप्त न हो सकी जो प्राकृत को मिली थी । गुप्त वंश के समय संस्कृत पुनः अधिष्ठित हो गयी और प्राकृत यथावत् आगे बढ़ती गयी । राजपूत काल (सन् 650 ई0 से 1200 तक) में चंदबरदाई ने पृथ्वीराज रासो की रचना की जिसे सभी विद्वान हिन्दी भाषा का आदि काव्य-ग्रंथ स्वीकार करते हैं । अतः स्पष्ट हो जाता है कि उस समय ~~प्राकृ~~ प्राकृत मिश्रित ही हिन्दी कहलाने लगी थी और संस्कृत के बाद हिन्दी को राजाश्रय मिलने लगा । उत्तर पश्चिम से आनेवाले मुसलमानों में से किसी ने भी तथाकथित काश्मीरी, पंजाबी, सिन्धी तथा राजस्थानी आदि प्रादेशिक भाषा और अपभ्रंश का उल्लेख नहीं किया है । बाद में वे समस्त देश में फैल गये, उन्हें और भी अन्य प्रादेशिक भाषाओं के संपर्क में आना पड़ा, परन्तु उनके आदि इतिहास में किसी भी प्रदेशवाची भाषा का नाम तक नहीं मिलता । वे केवल हिन्दवीं या हिन्दी जानते थे । श्री सीताराम चतुर्वेदी के शब्दों में "यह हिन्दवी या हिन्दी भाषा" किसी एक प्रदेश की भाषा नहीं थी, वरन् देश व्यापी भाषा थी । राष्ट्रभाषा संस्कृत के सभी व्यापक तत्व इस भाषा में आ गये थे, जो सब प्रदेशों के लिए बोधगम्य था । अतः इस हिन्दी की सीधी ~~उत्~~ उत्पत्ति संस्कृत से हुई है । किसी प्राकृत या अपभ्रंश से नहीं, जैसा भ्रमवश कुछ विद्वान समझते हैं ~~कि~~ और इसका निर्माण देश भर के लोगों ने किया था ।" (9)

यह सच है कि मुसलमान शासन काल में हिन्दी को राजाश्रय नहीं मिलने पर भी प्रजा का आशीर्वाद प्राप्त था । अनेक बाधाओं को पार करती हुई

हिन्दी की धारा विकासोन्मुख होती गयी, अब इसका विस्तार होता रहा और स्पष्ट रूप से समस्त देश में व्याप्त होने लगी । हिन्दी भाषा की व्यापकता और इसके सामर्थ्य एवं महत्व को समझते हुए इस भाषा के आदि कवियों ने इसे वीर रस से सींचा । भक्तिकाल के कवियों ने इसी भाषा के माध्यम से जनता को भक्ति सुधा का पान करवाया । भक्ति रस को प्रवाहित करनेवाले, हिन्दी प्रदेश के भक्त नहीं थे । पंजाब के गुरु नानक, बंगाल के विद्यापति, महाराष्ट्र के नामदेव और गुजरात के नरसी मेहता और राजस्थान की मीरा थे । अहिन्दी भाषा भाषी होते हुए भी अपनी रचनाएँ हिन्दी में की । क्योंकि उन्हें यह मालूम था कि हिन्दी भारत के अधिकांश लोगों की भाषा है और हर प्रकार के भाव प्रकट करने में समर्थ है । मुग़ल दरबार में हिन्दी गीतों की प्रशंसा की जाती थी ।

अंग्रेजों के शासनकाल में हिन्दी को राजाश्रय तो मिल नहीं सका, किन्तु इसका अशातीत प्रचार एवं प्रसार हुआ । हिन्दी का विरोध भी इस काल में बहुत ञ हुआ । हिन्दी तथा अन्य भाषाओं के तथाकथित विवाद की आड़ लेकर अंग्रेज सरकार ने अंग्रेजी भाषा को राजभाषा, संपर्क भाषा और शिक्षा का माध्यम घोषित किया । अंग्रेज तथा अंग्रेजी के सत्तारूढ़ होते ही देश में स्वतंत्रता के लिए आन्दोलन आरंभ हो गया, क्योंकि अंग्रेज राजनीतिक और सांस्कृतिक दृष्टि से भारत को सदा के लिए गुलाम बनाये रखना चाहते थे । अंग्रेजों की इस गहरी चाल को स्वामी दयानंद, महात्मा गान्धी, लाला लाजपतराय, श्री श्रीनिवास शास्त्री, राजगोपालचारी, डा0 सुनीतकुमार चटर्जी, केशवचन्द्रसेन, श्री शारदाचरण मिश्र, श्री कृष्णस्वामी जैसे देशभक्त नेताओं ने समझा और उद्घोष किया कि अंग्रेजी का स्थान हिन्दी को मिलना चाहिए । महात्मा गान्धी ने अंग्रेजों के विरुद्ध जिन शस्त्रों का उपयोग किया था, उनमें हिन्दी भी एक थी, इनके सफल प्रयासों से देश के कोने कोने में हिन्दी पहुँच गयी, आज शायद ही भारत का ऐसा स्थान होगा जहाँ हिन्दी बोलने, समझने और

पढ़नेवाले न मिलते हों । भारतवर्ष के लोग रामेश्वरम्, जगन्नाथपुरी, हरिद्वार, बद्रीनाथ, द्वारिका, सोमनाथ जैसे तीर्थ यात्राओं में हिन्दी भाषा का सदा से प्रयोग करते आये हैं ।

संसार की प्रसिद्ध भाषाओं का एक संख्यात्मक अध्ययन किया जाए तो हिन्दी भाषा के महत्व को और भी अच्छी तरह समझा जा सकता है । 'आर्गनाइज़र' साप्ताहिक के अनुसार संसार में विभिन्न भाषाओं को बोलनेवालों की संख्या निम्न प्रकार है ।(10)

चीन	:	46 करोड	जापानी	:	10 करोड
हिन्दी	:	30 करोड	अरबी	:	8 करोड
अंग्रेजी	:	25 करोड	पुर्तगाली	:	7 करोड
जर्मन	:	19 करोड	फ्रांसीसी	:	6 करोड
स्पैनिश	:	14 करोड	इतालवी	:	6 करोड
रूसी	:	13 करोड			

इन आंकड़ों से स्पष्ट है कि संसार में हिन्दी भाषा-भाषियों का स्थान दूसरा है । देश में भी हिन्दी भाषा-भाषियों की संख्या इतनी ही हैं, इस संख्या में उनकी गिनती भी है जिनकी मातृभाषा हिन्दी नहीं है किन्तु लिखना और पढ़ना जानते हैं । देश की अधिकांश जनता आज हिन्दी भाषा से परिचित हैं, अतः यह आज केन्द्र की राजभाषा और देश की संपर्क भाषा है अतः विश्व-विद्यालयों में शिक्षा का माध्यम भी यही भाषा होनी चाहिए । इसीलिए मोटूरि सत्यनारायण ने ठीक ही कहा है "स्वयं हमने यह समझा कि हिन्दुस्तान की सेवा करना, हिन्दुस्तान को अपनाना, हिन्दुस्तान के साथ साक्षात्कार करना, हिन्दुस्तान के साथ आत्मसात होना हमारा धर्म है । उस धर्म को निभाने के लिए हिन्दी एक साधनमात्र है ।(11)

निष्कर्ष रूप में यह बात स्पष्ट है कि देश की ऐतिहासिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक और कलाओं की परंपराओं को यदि हम कहीं देख सकते हैं तो वह संस्कृत भाषा के बाद हिन्दी भाषा में देख सकते हैं। सामाजिक उत्थान और पतन की कहानी इसी भाषा में लिखी हुई है। भारत की सभी प्रादेशिक भाषाओं में भारतीय संस्कृति की अमूल्य निधि निहित है;, किन्तु ये सभी क्षेत्रीय भाषाएँ हैं, अतः इनसे समग्र देश के प्रतिनिधित्व की आशा नहीं की जा सकती। हिन्दी का क्षेत्र अति विस्तृत है और यह देश में सर्वत्र बोली और समझी जाती है अतः संपूर्ण देश का सांस्कृतिक प्रतिनिधित्व सम्भव है और उसके लिए सक्षम भी है। दक्षिण भारत की द्रविड़ भाषाओं में भी हमारी महान् संस्कृति का आभास मिलता है, परंतु मानना पड़ेगा कि उनके माध्यम से समस्त भारत के दर्शन नहीं होते, वरन् एक भाग की सभ्यता और संस्कृति परिलक्षित होती है। आज हिन्दी भारतीय सभ्यता, संस्कृति और साहित्य की प्रतिनिधि है। जो लोग संस्कृत साहित्य का अध्ययन नहीं कर सकते, वे अपनी संस्कृति का ज्ञानार्जन हिन्दी साहित्य के द्वारा कर सकते हैं।

हिन्दी के इस अक्षुण्य महत्व को स्वीकार करते हुए शोधकर्ता ने यहाँ राष्ट्रभाषा की समस्या तथा संविधान में हिन्दी के स्थान पर विवेचना की है।

5 राष्ट्रभाषा की समस्या तथा संविधान में हिन्दी का स्थान :

प्रत्येक सभ्य राष्ट्र की अभिव्यक्ति का माध्यम उसकी अपनी भाषा होती है। जनतंत्र का माध्यम जनभाषा है। जनभाषा का विरोध जनतंत्र का विरोध है। स्वभाषा के बिना जनता का विकास संभव नहीं। चीनियों ने पिछले 13 वर्षों में जो भी विकास किया है उसका मूलतंत्र चीनी भाषा का प्रयोग है। जपान के लोग अपनी भाषा का आश्रय लेकर 30 वर्षों में मध्ययुग को पार

कर वर्तमान युग में प्रवेश किया और इतनी शक्ति का निर्माण किया कि रूस भी परास्त हुआ । इस प्रकार किसी भी देश का विकास उस देश की संस्कृति, भाषा एवं आचार विचारों पर बहुत हदतक निर्भर रहता है ।

प्राचीन भारत की भाषा नीति स्पष्ट थी । बोलियाँ अनेक होने पर भी शिक्षा एवं सरकारी कामकाज के रूप में संस्कृत स्वीकृत थी । उस समय संस्कृत विद्वानों, शिक्षितों व जनता के उच्च वर्ग की भाषा अर्थात् देववाणी थी । इसके बाद बौद्धकाल में, अशोक जैसे सम्राट के शासनकाल में भारत की राजभाषा का पद प्राकृत को मिला । इसके बाद प्राकृत भाषा सम्पन्न हुई और शिक्षा का माध्यम रही ।

वैदिक काल की भाँति मुसलमानों के शासनकाल में भी भाषा समस्या स्पष्ट थी । मुगलों के शासनकाल में अदालतों, कचहरियों एवं दरबारों में फारसी का बोलबाला आरंभ हुआ । राजकाल की भाषा फारसी थी । परंतु साधारण जनता ने बाजारों में उर्दू या हिन्दी का विकास कर लिया था ।(12) इन पाठशालाओं में भी फारसी का पठन-पाठन प्रारंभ हुआ ।

अंग्रेजी शासनकाल में भारत की भाषा नीति स्पष्ट थी । अंग्रेज व्यापार के निमित्त भारत आये थे । उनका संपर्क सर्वसाधारण जनता से होना आवश्यक था । शासन को सुचारू रूप से चलाने के लिए उन्होंने अपनी भाषा का प्रचार करना आवश्यक समझा । लार्ड मैकाले के प्रयासों के पश्चात् हमारी भाषा नीति स्पष्ट थी । भारत में अंग्रेजी के द्वारा ही शिक्षा दी जाती थी । सरकारी नौकरियों को प्राप्त करने में इसका महत्व अधिक था । यहाँ तक कि अंग्रेजी में बोलना और अंग्रेजियों जैसा व्यवहार करना समाज में उच्च वर्ग एवं वरिष्ठ वर्ग माना जाता था ।

स्वतंत्र भारत में विभिन्न समस्याओं के साथ भाषा समस्या भी हमारे सामने आई । इस समस्या को लेकर महात्मा गान्धी ने बड़े सुलझे हुए विचार जनता के सामने स्पष्ट रूप से प्रकट किये थे । "समूचे हिन्दुस्तान के साथ व्यवहार करने के लिए हमको भारतीय भाषाओं में से ऐसी भाषा या जबान की जरुरत है, जिसे आज अधिक संख्या में लोग जानते हैं और समझते हो और बाकी लोग उसे तुरंत सीख सकें । इसमें संदेह नहीं कि हिन्दी ऐसी ही भाषा है । उत्तर के हिन्दू और मुसलमान दोनों इस भाषा को बोलते और समझते हैं ।

राष्ट्रभाषा की समस्या को लेकर दक्षिण के प्रान्तों मद्रास आदि में आन्दोलन शुरु हुआ । उस समय मद्रास की बागडौर राजगोपालाचारी के हाथ में थी । उन्होंने मद्रास जनता को सम्बोधित करते हुए कहा था " सरकार की नीति इस संबंध में यही है कि हिन्दी का जो भारत के अधिकांश भागों में बोली जाती है - काम चलाऊ ज्ञान हो जाए ताकि मद्रास प्रदेश के विद्यार्थी इस योग्य हो जाये कि दक्षिण तथा उत्तर में सुविधापूर्वक विचार-विनिमय कर सकें । निष्कर्ष यह है कि हिन्दी का गंभीर ज्ञान प्राप्त करना भारत की सभी लोगों के लिए शिक्षा का उद्देश्य होना चाहिए ।" (13)

इस संदर्भ में प्रसिद्ध शिक्षाशास्त्री एवं भाषा वैज्ञानिक डा0 सुनीतकुमार चटर्जी ने हिन्दी को राष्ट्रभाषा घोषित करने के पक्ष में अपना मत प्रकट किया । डा0 रघुवीर ने इस बात का अधिक समर्थन किया है कि "हिन्दी ही भारत की केन्द्रीय राष्ट्रीय भाषा है ।" द्वितीय महायुद्ध के समय आज़ाद हिन्द सभा की स्थापना हो गई थी । आज़ाद हिन्द सरकार ने हिन्दी को भारत की राष्ट्रभाषा स्वीकार कर लिया था । नेताजी सुभाषचन्द्र बोस ने हिन्दी के विकास के लिए एक अलग शाखा खोल दी गई जिसके अध्यक्ष श्री हेमराज शास्त्री बनाये गये थे ।

जब भारत स्वतंत्र हुआ सभी हिन्दी सेवक एवं देशभक्तों को यह विश्वास हो गया है कि अब स्वतंत्र भारत की राजभाषा हिन्दी हो जायेगी, किन्तु ऐसा नहीं हुआ । हिन्दी को अनावश्यक रूप से टालने की नीति अपनाई गई । सँविधान सभा ने 14 सितम्बर 1950 ई0 को हिन्दी से संबंधित एक प्रस्ताव सर्वसम्मति से स्वीकार किया । सँविधान के अनुच्छेद 343 (1) के अनुसार (1) संघ की राजभाषा हिन्दी और देवनागरी लिपि घोषित की गयी ।

(2) सँविधान के आरंभ से 15 वर्ष की अवधि के लिए अँग्रेजी के प्रचलन को यथावत् रखा गया ।

(3) इस पन्द्रह वर्ष की अवधि में भी राष्ट्रपति आदेश के द्वारा हिन्दी को अधिकृत करने की व्यवस्था की गई ।

अनुच्छेद 344 (1) के अनुसार राष्ट्रपति के द्वारा एक आयोग के गठन की व्यवस्था की गई । इस आयोग का काम केन्द्र के राज कार्यों में हिन्दी के उपयोग की सीमा निर्धारण एवं उचित स्तुतियाँ उपस्थित करना निश्चित किया गया । अनुच्छेद 345 के अनुसार विधान सभा की स्वीकृति से प्रदेश विशेष की राजभाषा 'हिन्दी' हो सकती है । अनुच्छेद 346 ने दो राज्यों या एक राज्य और केन्द्र के बीच संपर्क भाषा के लिए प्रचलित भाषा की व्यवस्था की है । अनुच्छेद 348 के अनुसार उच्चतम न्यायालय की भाषा हिन्दी को घोषित करने का अधिकार राष्ट्रपति को है । इस प्रकार प्रदेश विशेष के उच्च न्यायालय की भाषा हिन्दी या प्रादेशिक भाषा को घोषित कर सकते हैं ।

अनुच्छेद 351 के अनुसार हिन्दी भाषा की प्रसार वृद्धि एवं विकास करना ताकि वह भारत की सामाजिक संस्कृति के सभी तत्वों की अभिव्यक्ति का माध्यम हो सके, तथा उसकी आत्मीयता में हस्तक्षेप किये बिना हिन्दुस्तानी और

अष्टम अनुसूचि में उल्लिखित अन्य भारतीय भाषाओं के रूप, शैली और पदावली को आत्मसात करते हुए तथा जहाँ आवश्यक या वांछनीय हो वहाँ उसके शब्द भण्डार के लिए मुख्यता संस्कृत से तथा गौणतः अन्य भाषाओं से शब्द ग्रहण करते हुए उसकी संवृद्धि सुनिश्चित करना संघ का कर्तव्य बताया गया है ।

सँविधान में हिन्दी से सँबंधित व्यवस्थाओं के अनुसार हिन्दी भाषा को अन्य भाषाओं की अपेक्षा ऊँचा स्थान दिया गया है । हिन्दी भाषा को केन्द्र की न केवल राजभाषा स्वीकार किया गया है, अपितु अन्तर्राज्यों की सम्पर्क भाषा भी हिन्दी ही घोषित की गयी है । उच्चतम न्यायालय की भाषा अनिवार्यतः हिन्दी ही निश्चित की गयी है । एक या अनेक राज्य एवं उच्च न्यायालय विधान सभाओं की स्वीकृति से अपने प्रदेश में हिन्दी को राजभाषा बना सकते हैं ।

इन व्यवस्थाओं के साथ सँविधान ने दो विशेषताओं को जोड़ दिया है जिसके कारण सुदूरगामी परिणाम निकलने लगे हैं । पहली विशेषता अंग्रेजी को 15 वर्ष के लिए और तत्पश्चात् भी प्रचलित रखने की व्यवस्था है । इस व्यवस्था के परिणामस्वरूप ही देश की स्वतंत्रता के 31 वर्ष के बाद भी हिन्दी राजभाषा नहीं बन सकी, परंतु अहिन्दी भाषी प्रदेशों के अनुसार अनिश्चित अवधि के लिए अंग्रेजी को संघ की सह राजभाषा बना दी गयी ।

सँविधान ने हिन्दी से सम्बन्धित व्यवस्था के साथ एक और महत्वपूर्ण विशेषता को संयुक्त कर दिया है, इसके अनुसार हिन्दी के भावी स्वरूप को निश्चित कर दिया गया है और यह हिन्दी एवं हिन्दी माध्यम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण की बात है । अनुच्छेद 351 में स्पष्ट रुप से हिन्दी के भावी स्वरूप एवं निर्माण की दिशा निश्चित करते हुए कहा गया है "उसकी (हिन्दी की) आत्मीयता में हस्तक्षेप किये बिना हिन्दुस्तानी और अष्टम सूची में उल्लिखित अन्य

भारतीय भाषाओं के रूप, शैली और पदावली को आत्मसात् करते हुए तथा जहाँ आवश्यक वांछनीय हो वहाँ उसके शब्द भण्डार के लिए मुख्यतः संस्कृत से तथा गौणतः अन्य भाषाओं से शब्द ग्रहण करते हुए समृद्धि सुनिश्चित करना है । इस स्पष्टोक्ति से सिद्ध है कि सँविधान की हिन्दी ब्रज, अवधि, कनौजी आदि नहीं है और न ही किसी प्रदेश की भाषा है । इसके विपरीत सर्वाधिक व्यापक, संस्कृत निष्ठ और प्रादेशिक भाषाओं के रूप लावण्य एवं माधुर्य को भी ग्रहण करती हुई जो भाषा देवनागरी लिपि में होगी, वह हिन्दी होगी ।(14)

अब यह काम शिक्षा शास्त्रियों का है कि भारतीय संस्कृति को अभिव्यक्त करने में समर्थ निर्देशानुसार हिन्दी भाषा का विकास करें और पढ़ाएँ । हम ऊपर कह आये हैं कि हिन्दी अपने जन्म से ही इस स्वरूप को धारण किये हुए है । और सँविधान के निर्माण से पूर्व ही इसकी भावना को साकार किये हुए हैं । सँविधान में हिन्दी के इस स्थान को समझने के बाद विभिन्न आयोगों में हिन्दी का क्या स्थान है हम इसकी चर्चा करेंगे ।

6 राजभाषा आयोग तथा विभिन्न आयोगों में हिन्दी का स्थान :

देश का सँविधान बनने से पूर्व और बाद में अनेक समितियों ने शिक्षा के माध्यम विषय ~~ब~~ पर अलग अलग विचार प्रकट किये । ऐसे तो ये समितियाँ राजनीतिक भावनाओं से प्रेरित थी, किन्तु विषय के महत्व ~~क~~ ने उन्हें भी इस विषय पर विचार करने के लिए विवश कर दिया ।

विविध आयोगों और समितियों ने हिन्दी के दो रूपों को स्वीकार किया है । बहु संख्यक लोगों की मातृभाषा होने के नाते हिन्दी को मातृभाषा के रूप में

स्वीकार किया गया है । साथ ही कुछ प्रदेशों में हिन्दी भाषा को मातृभाषा के रूप में स्वीकार किया गया है । साथ ही कुछ प्रदेश हिन्दी भाषा-भाषी होने से उसने क्षेत्रीय भाषा का भी रूप धारण किया हैं । हिन्दी का एक दूसरा रूप भी है, वह है सम्पर्क भाषा का । सम्पर्क भाषा के रूप में वह समस्त देश में और हर प्रदेश में बोली पढ़ी, लिखी और समझी जाती है । हिन्दी के इस स्वरूप को विद्वान 'खडीबोली' स्वीकार करते हैं । यह बात विवादास्पद है कि मातृभाषा हिन्दी, क्षेत्रीय भाषा हिन्दी और सम्पर्क भाषा हिन्दी में अन्तर है या नहीं । किसी समिति ने मातृभाषा के रूप में, तो किसी ने क्षेत्रीय भाषा के रूप में, तो किसी आयोग ने सम्पर्क भाषा के रूप में हिन्दी को ग्रहण किया है और उसके महत्व को किसी न किसी रूप में स्वीकार किया है ।

(अ) वर्धा समिति :

स्वतंत्रता से पूर्व डा0 जाकिर हुसैन की अध्यक्षता में सन् 1937 ई0 में शिक्षा के माध्यम के विषय पर एक समिति बनी । इस समिति ने उच्च शिक्षा के लिए मातृभाषा को अनिवार्य बनाया था । यही नहीं इस समिति ने भारत के लिए एक सामान्य भाषा की आवश्यकता पर भी ज़ोर दिया था । इस समिति ने यह सिफारिश की है कि भारत की सामान्य भाषा फ़ारसी और हिन्दी लिपि में लिखी गयी हिन्दुस्तानी हो सकती है ।

(आ) राष्ट्रीय एकता सम्मेलन (1961):

इस सम्मेलन का यह प्रस्ताव था कि राष्ट्रीय एकता के लिए और उच्च शिक्षा के माध्यम के रूप में हिन्दी को भी मान्यता दी जा सकती है । सम्पूर्ण देश की सम्पर्क भाषा के रूप में एक ऐसी भाषा की आवश्यकता है जो संपूर्ण देशवासी समझ सकें । इसी वर्ष में मुख्य मंत्रियों की एक बैठक में यह तय हो गया है कि विश्वविद्यालयों में संपर्क भाषा अंग्रेजी या हिन्दी हो सकती है ।

(इ) राष्ट्रीय एकता परिषद् (1962):

इस परिषद् क ने मुख्य मंत्रियों की बैठक में हिन्दी विरोधी प्रदेश तमिलनाडु के मुख्यमंत्री श्री अन्नदुरै ने हिन्दी के महत्व को स्वीकार करते हुए उसे तीसरी भाषा के रूप में पढ़ाने पर अपनी राय प्रकट की है, पर हिन्दी को उन्होंने अनिवार्य विषय के रूप में स्वीकार नहीं किया ।

(ई) डा० ताराचन्द कमेटी :

सन् 1948 ई० में डा० ताराचंद की अध्यक्षता में एक ब कमेटी बनी । इस कमेटी ने 5 वर्षों के भीतर अंग्रेजी का स्थान प्रादेशिक भाषाएँ लेने की बात कह दी । इसी बात का 1956 के भाषा आयोग ने भी समर्थन किया ।

(उ) डा० राधाकृष्णन् शिक्षा आयोग :

सन् 1948 ई० में डा० राधाकृष्णन् शिक्षा आयोग ने विश्वविद्यालय से संबंधित विभिन्न पहलुओं पर अपना विचार गंभीरतापूर्ण प्रकट किया है । "अंग्रेजी माध्यम बने रहने से न केवल व्यक्ति, की बल्कि पूरे राष्ट्र की चेतना विभक्त हो जाती है और हममें बाबू माईण्ड की भावना आ जाती है । इसके कारण हमने चिन्तन और तर्क पर बल देने के बजाए रटने पर बल दिया है । वस्तु, ज्ञान और सत्य को प्राप्त करने के स्थान पर हमने कुछ शब्द समूहों पर अधिकार करना मात्र पर्याप्त समझा ।" (15) इस आयोग ने उच्च माध्यमिक एवं विश्वविद्यालय के छात्रों को तीन भाषाएँ प्रादेशिक, संघीय और अंग्रेजी भाषाओं को सिखाने पर ज़ोर दिया है । संघीय भाषा के लिए देवनागरी लिपि अपनाई जाए और उसके कुछ दोषों को दूर किया जाए । इस आयोग ने प्रादेशिक भाषाओं को विश्वविद्यालय की शिक्षा का माध्यम हो परन्तु संघीय भाषा को भी ऐच्छिक माध्यम बनाने की छूट छात्रों को होनी चाहिए ।

(ऊ) मुदलियार आयोग (1952-53) :

(1952-53) ई0 में माध्यमिक शिक्षा आयोग का गठन हुआ था। यह मुदलियार आयोग के नाम से भी विख्यात है। इस आयोग को माध्यमिक शिक्षा पर विचार करने के लिए स्थापना की गई। इस आयोग ने भाषा के विषय पर अपना विचार स्पष्ट किया। "स्कूल के पाठ्यक्रम में हिन्दी को अनिवार्य विषय बनाया जाए, अन्यथा जो हिन्दी नहीं पढ़ेंगे उन्हें बाद में कठिनाइयाँ होंगी, वे न तो संघीय सेवाओं में जा सकेंगे और न ही हिन्दी भाषी प्रदेशों के साथ निर्बाधपूर्वक आदान प्रदान कर सकेंगे।"

"Hindi should be made compulsory subject for study in the school course, as otherwise those who do not study Hindi may be handicapped at a large state, if they either to enter services or to communicate more freely with those parts of India where the language is commonly used" (16)

आयोग ने माध्यमिक स्तर पर ही प्रत्येक बालक को कम से कम दो भाषाएँ पढ़ाने पर बल दिया है। उच्च माध्यमिक स्तर पर भी कम से कम दो भाषाएँ पढ़ना चाहिए। भाषा समस्या पर माध्यमिक शिक्षा आयोग ने स्पष्ट विचार प्रकट किया है।

(ऋ) त्रिभाषा-सूत्र की उत्पत्ति :

1956 में केन्द्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड ने देश की आवश्यकताओं और संविधान के तकाजों को ध्यान में रखकर, भाषा शिक्षण की कठिन समस्या की विस्तार से चर्चा की है। उसने त्रिभाषा-सूत्र के नाम से एक सूत्र तैयार किया। ~~उसने~~ सन् 1961 में मुख्य-मन्त्रियों की बैठक में इस सूत्र को थोड़ा सरल बनाकर अनुमोदित किया गया। यह निर्णय शैक्षिक की अपेक्षा राजनैतिक और

सामाजिक कारणों से अधिक प्रभावित था । (तीसरी भाषा हिन्दी के बदले, जो अहिन्दी भाषी क्षेत्रों में छात्रों के लिए अनिवार्य होगी) हिन्दी क्षेत्रों में (हिन्दी और अंग्रेजी के अलावा) छात्रों को एक और भारतीय भाषा पढ़नी चाहिए, यह सिफारिश कर एक तरह से सूत्र ने हिन्दी और अहिन्दी भाषी क्षेत्रों में भाषाओं के अध्ययन की दृष्टि से समानता स्थापित कर दी ।

सूत्र की क्रियान्विति में कठिनाइयाँ :

व्यवहारिक रूप से त्रिभाषा सूत्र की क्रियान्विति में अनेक कठिनाइयाँ उपस्थित हो गई है और यह कुत सफल नहीं रहा है । इस स्थिति के कई कारण हैं जिनमें से कुछ मुख्य यह हैं - स्कूल, पाठ्य चर्या में भाषा के भारी बोझ का सामान्य विरोध, हिन्दी क्षेत्रों में एक अतिरिक्त आधुनिक भारतीय भाषा के अध्ययन के लिए अभिप्रेरणा (Motivation) का अभाव, कुछ अहिन्दी क्षेत्रों में हिन्दी के अध्ययन का विरोध, और पाँच से छः साल तक (छठीं कक्षा से लेकर दसवीं या ग्यारहवीं कक्षा तक) दूसरी और तीसरी भाषा के शिक्षण के लिए होनेवाला भारी खर्च और प्रयत्न । जहाँ तक तीसरी भाषा का सम्बन्ध है, जिस अवास्तविक स्थिति में अधिकांश छात्रों ने इसका अध्ययन किया और इस प्रयोजन के लिए जिस स्थिति में पर्याप्त सुविधाओं की व्यवस्था की गई, उनके कारण बहुत से क्षेत्रों में छात्रों को नाम मात्र का ही लाभ हुआ है । अब वह समय आ गया है जब कि सारी स्थिति पर पुनर्विचार करके स्कूल के स्तर पर भाषाओं के अध्ययन के संबंध में नई नीति निर्धारित की जाए । अंग्रेजी को अनिश्चित काल के लिए भारत की सहचारी राजभाषा के रूप में मान्यता प्राप्त हो जाने से यह बात और भी आवश्यक हो गई है ।

व्यवहारिक त्रिभाषा-सूत्र का आधार :

स्कूलों के लिए व्यवहारिक त्रिभाषा-सूत्र के निर्माण में निम्नलिखित मार्गदर्शी

सिद्धान्तों से सहायता मिल सकती है ।

(1) हिन्दी संघ की राजभाषा है, और आशा है कालान्तर में वह देश की जनभाषा बन जाएगी । अन्ततोगत्वा, भाषा पाठ्यचर्या में मातृभाषा के बाद इसका ही स्थान होगा ।

(2) जबतक अंग्रेजी विश्वविद्यालय स्तर पर शिक्षा का मुख्य माध्यम और केन्द्र तथा अनेक राज्यों में प्रशासन की भाषा बनी रहेगी तब तक उसको ऊँचा स्थान मिलता रहेगा । विश्वविद्यालयों में प्रान्तीय भाषाओं के उच्चतर शिक्षा का माध्यम बन जाने के बाद भी सभी छात्रों के लिए अंग्रेजी का व्यवहारिक ज्ञान बहुत ही उपयोगी होगा और विश्वविद्यालय में प्रवेश पानेवालों के लिए उसमें काफ़ी योग्य होना आवश्यक होगा ।

(3) स्कूल में किसी भाषा के अध्ययन में कितनी योग्यता प्राप्त की जा सकती है यह बात केवल इस पर ही निर्भर नहीं है कि कोई भाषा कितने वर्षों तक सीखी जाती है, अपितु इस पर भी निर्भर है कि छात्रों के सामने क्या अभिप्रेरणा है, भाषा किस अवस्था पर सीखी जा रही है तथा उपलब्ध शिक्षक और शिक्षण पद्धतियाँ किस प्रकार की हैं । उचित सुविधाओं के अभाव में लम्बी अवधितक भाषा पढ़ाने से भी अच्छे परिणाम नहीं निकलते जबकि अनुकूल परिस्थितियों के होने पर कम समय में भी अच्छे परिणाम निकल सकते हैं । यद्यपि बहुत कम आयु में ही बच्चे को दूसरी भाषा सिखाने के पक्ष में तर्क दिए जा सकते हैं, लेकिन हमारे विचार से प्राथमिक स्कूलों में लाखों छात्रों को भाषा की शिक्षा देने के लिए योग्य शिक्षकों की व्यवस्था करना बहुत दुष्कर काम होगा ।

(4) तीन भाषाओं के अध्ययन को अनिवार्य बनाने के लिए उच्च

माध्यमिक अवस्था (कक्षा आठ से दस तक) सबसे उपयुक्त प्रतीत होती है । क्योंकि उस अवस्था पर भाषा की शिक्षा पानेवाले छात्रों की संख्या कम होती है और बेहतर सुविधाओं और शिक्षकों का प्रबन्ध किया जा सकता है । दो नई भाषाओं के शुरू करने में समय का अन्तर रखना भी वांछनीय है ताकि उनमें से एक उच्चतर माध्यमिक अवस्था में शुरू की जाए और दूसरी पहली अतिरिक्त भाषा पर कुछ सीमा तक अधिकार पा लेने के बाद, अगर माध्यमिक अवस्था में जबकि पहली अतिरिक्त भाषा पर छात्र का कुछ अधिकार हो गया हो । एक अच्छे स्कूल में, तीसरी भाषा का व्यवहारिक ज्ञान प्राप्त करने के लिए तीन साल तक का अनिवार्य अध्ययन शायद काफी होगा, लेकिन ऐच्छिक आधार पर अधिक समय तक भी इसके पढ़ने का प्रबन्ध होना चाहिए ।

(5) किसी भी अवस्था पर चार भाषाओं का अध्ययन अनिवार्य नहीं होना चाहिए लेकिन स्वेच्छा से चार या और भी अधिक भाषाओं के अध्ययन की सुविधाएँ प्राप्त होनी चाहिए ।

इन कारणों को दृष्टि में रखकर आयोग ने एक संशोधित या क्रमिक त्रिभाषा-सूत्र की सिफारिश की है जो निम्न प्रकार है । प्रत्येक छात्र को कमसे कम निम्न भाषाएँ सीखनी चाहिए ।

(1) मातृभाषा या प्रादेशिक भाषा ।

(2) संघ की राजभाषा या सहचारी राजभाषा ।

(3) एक आधुनिक भारतीय या विदेशी भाषा ।

प्रदेशिक स्तर पर छात्रों को केवल एक ही भाषा पढ़ाने की सिफारिश की है और उच्च माध्यमिक स्तर पर केवल दो भाषाएँ अनिवार्य रूप से सिखाई जानी चाहिए ।

(1) मातृभाषा या प्रादेशिक भाषा ।
(2) संघ की राजभाषा या सहचारी भाषा ।

उच्च माध्यमिक अवस्था (आठवीं से दसवीं कक्षा) तक तीन भाषाओं का अध्ययन अनिवार्य होना चाहिए । हिन्दी क्षेत्र के अधिकतर छात्र हिन्दी, अंग्रेजी और एक प्रादेशिक भाषा का अध्ययन करेंगे जबकि अहिन्दी क्षेत्र के बहुसंख्यक छात्र प्रादेशिक भाषा हिन्दी और अंग्रेजी सीखेंगे ।

कुमारी एस0 पनन्दीकर ने त्रिभाषा सूत्र पर अपने अलग विचार प्रकट किये हैं । इनके विचार में उच्चतर प्राथमिक अवस्था में भी तीन भाषाओं का होना आवश्यक है । इनके मतानुसार हिन्दी को संघ की राजभाषा मात्र न होकर सारे देश की संपर्क भाषा के रूप में स्वीकार करना उचित है ।

आयोग के विचार में भाषा की अभिप्रेरणा एक जटिल समस्या है । इसके निर्माण के लिए सामाजिक जीवन और प्रशासन में विशेष स्थान ~~क~~ देना होगा और हिन्दी में अच्छी पुस्तकें तैयार करनी होगी । आयोग का विश्वास है कि उचित प्रयत्न से इनमें सफलता प्राप्त की जा सकती है । आयोग ने उच्च माध्यमिक स्तर पर तीन भाषाओं का अध्ययन ~~करना~~ आवश्यक माना है क्योंकि इस आयु में छात्रों में परिपक्वता आ जाती है ।

(ऋ) भारतीय शिक्षा आयोग : (1964-66)

यह कोठारी आयोग के नाम से प्रसिद्ध है । डा0 डी0 एस0 कोठारी इस आयोग के अध्यक्ष थे । भाषा सम्बन्धी अपने विचारों को प्रकट करते हुए आयोग ने त्रिभाषा-सूत्र की अव्यवहारिकता, असन्तोष और विरोध की भावनाओं को देखकर उनमें संशोधन करना उचित समझा । आयोग ने त्रिभाषा को देश के सामने निम्न रूप से रखा (1) मातृभाषा या प्रादेशिक भाषा संपूर्ण शिक्षा का माध्यम रहे ।

(2) हिन्दी संघ की राजभाषा अथवा सह राजभाषा को मातृभाषा के बाद महत्वपूर्ण स्थान दें ।

(3) आधुनिक कोई भारतीय भाषा या यूरोपीय भाषा का ज्ञान छात्रों के लिए लाभप्रद होगा ।

इन तीनों भाषाओं को सिखाना आरंभ करने के लिए निम्नतर माध्यमिक स्तर को उपयुक्त बताते हुए कहा कि हिन्दी या अंग्रेजी को सीखने के लिए लोग प्रेरित हो या आवश्यकता अनुभव करें तो ही पढ़ाया जाना चाहिए । आयोग ने इस विषय पर अपना विचार स्पष्ट करते हुए कहा है कि "अंग्रेजी अधिकांश भारतीय जनता के लिए विचार विनिमय की भाषा नहीं बन सकती, यह भाषा कालान्तर में हिन्दी ही होगी । हिन्दी को भारत के सभी भागों में फैलाने का कार्य किया जाना चाहिए ।" (17)

निष्कर्ष :- पहले ही कहा जा चुका है कि शिक्षा आयोग एवं शिक्षा समितियाँ राजनीतिक प्रभाव से च्युत नहीं हैं । किसी भी आयोग ने हिन्दी का पठन-पाठन अनावश्यक नहीं समझा, अनिवार्य रूप से हिन्दी किस कक्षा से और किस रूप से सिखाये जाये इस पर सभी आयोगो ने अपना अलग अलग विचार प्रकट किया है ।

ईश्वरभाई पटेल की रिपोर्ट :-

श्री मोरारजी देसाई ने भारत के प्रधान मंत्री होने के बाद पहली कक्षा से दसवीं कक्षा तक की स्कूलों की शिक्षा पद्धति में परिवर्तन करना चाहा । उसीके फलस्वरूप भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय की ओर से गुजरात विद्यालय के उपकुलपति ईश्वरभाई पटेल की अध्यक्षता में 30 सदस्यों की एक रिव्यू कमेटी नियुक्त की गई । इस कमेटी ने जो रिपोर्ट दी है उसे भारत सरकार और राज्य सरकारें भी अमल में लाने जा रही है ।

इस कमेटी ने पहली कक्षा से दसवीं कक्षा तक के शिक्षण को तीन भागों में विभाजित किया है ।

(1) पहली कक्षा से पाँचवी कक्षा तक ।

(2) छठवीं कक्षा और सातवीं कक्षा तक ।

(3) आठवीं कक्षा से दसवीं कक्षा तक ।

पहली कक्षा से पाँचवी कक्षा तक केवल मातृभाषा पढ़ाई जायेगी । छठवीं और सातवीं कक्षाओं में मातृभाषा अनिवार्य रूप से पढ़ाई जायेगी । फिर हिन्दी या अंग्रेजी अनिवार्य होगी । अर्थात् दोनों भाषाओं में से एक ही चुनना होगा । इससे स्पष्ट है कि वि वर्तमान परिस्थिति में छात्र हिन्दी के बदले अंग्रेजी ही लेंगे । इसलिए छठवीं तथा सातवीं कक्षाओं में हिन्दी समाप्त कर दी है । त्रिभाषा सूत्र की जगह द्विभाषा सूत्र ही आ गया है । आठवीं कक्षा से दसवीं कक्षा तक मातृभाषा, अंग्रेजी और हिन्दी तीनों भाषाओं का अध्ययन होगा । पर इन तीनों भाषाओं को पढ़ाने के लिए 8 वीं कक्षा के लिए 11 और 9 वीं तथा 10 वीं कक्षा के लिए 12 पिरियड मात्र दिये हैं । इतने कम पीरियड तीन भाषाओं के लिए बाँटना होगा । हिंदी के लिए मुश्किल से एक या दो पीरियड मिल सकेंगे । इससे यह स्पष्ट है कि पीरियडों का प्रभाव हिन्दी अध्यापकों की नौकरियों पर पड़ेगा ।

वास्तव में यह रिपोर्ट हिन्दी प्रचार एवं प्रसार में घातक सिद्ध होगी । इस रिपोर्ट का परिणाम यह होगा कि केन्द्रीय सरकार हिन्दी प्रचार एवं प्रसार के लिए कितना भी प्रयत्न क्यों न करे वह व्यर्थ ही सिद्ध होगा । इससे अ राष्ट्रभाषा समस्या और भी जटिल होगी ।

विचार प्रकट किये हैं । मुदलियार के माध्यमिक शिक्षा आयोग ने हिन्दी की संपूर्ण शिक्षा एक अनिवार्य विषय के रूप में सीखने और सिखाने पर ज़ोर दिया और यह काम माध्यमिक स्तर से आरंभ करने की सहमति दी ।

भारतीय संविधान में हिन्दी का स्थान एवं विभिन्न आयोगों की राष्ट्रभाषा सम्बन्धी सुझावों को दृष्टि में रखते हुए हमें यह सोचना चाहिए कि भारत के वर्तमान राज्यों में हिन्दी की स्थिति क्या है । शोधकर्ता ने इसका निर्देश आगामी पृष्ठों में दिया है ।

.....

7 भारत के वर्तमान राज्यों में हिन्दी की स्थिति :

भारत के वर्तमान मानचित्र में आपको कुल 29 राज्य दिखाई देंगे, उनमें 21 राज्य है और 8 केन्द्र शासित राज्य हैं । इनमें से उत्तर प्रदेश, बिहारस, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और देहली राज्यों के निवासियों की मातृभाषा हिन्दी है, अतः इन प्रदेशों की प्रादेशिक भाषा के रूप में हिन्दी ही है । इन राज्यों की जन संख्या, सामूहिक रूप से लगभग पच्चीस करोड है । असम, आन्ध्र प्रदेश, उडीसा, केरल, गुजरात, जम्मू काश्मीर, नागालैण्ड, पंजाब, महाराष्ट्र, कर्नाटक, मणिपुर, त्रिपुरा, चण्डीगढ़, आदि की अपनी क्षेत्रीय भाषाऐं हैं । इन प्रदेशों में हिन्दी को दि्वतीय भाषा के रूप में पढ़ाई जाती है । तमिलनाडु ही एक ऐसा प्रदेश है जहाँ किसी भी रूप में हिन्दी पढ़ाई नहीं जाती । देश के लगभग नब्बे विश्वविद्यालयों में से 35 विश्वविद्यालयों के शिक्षा का माध्यम हिन्दी भाषा है और विश्वविद्यालय में हिन्दी को ऐच्छिक माध्यम बनाने की स्वीकृति दी गई है । उल्लिखित 35 विश्वविद्यालयों में स्नातकोत्तर शिक्षा का माध्यम हिन्दी ही घोषित की गई हैं ।

आन्ध्र प्रदेश की प्रादेशिक भाषा तेलुगु है, और यही भाषा यहाँ के लोगों की मातृभाषा है । तेलुगु को माध्यमिक स्तर तक शिक्षा का माध्यम बना दिया गया है । उस्मानिया विश्वविद्यालय में 1974 से प्रारंभिक कक्षा से स्नातक स्तर तक छात्र तेलुगु माध्यम से पढ़ सकते हैं ।

आन्ध्र प्रदेश के छात्रों को हिन्दी दि्वतीय भाषा के रूप में अनिवार्य रूप से पढ़ना पड़ता है । अतः हम विभिन्न राज्यों की हिन्दी स्थिति के परिप्रेक्ष्य में आन्ध्र प्रदेश सरकार की भाषा नीति पर प्रकाश डालेंगे ।

8 आन्ध्र प्रदेश सरकार और भाषा नीति :

आन्ध्र प्रदेश में हिन्दी का अध्यापन पाँचवीं कक्षा के स्तर से प्रारंभ होता है और दसवीं कक्षा तक चलता है । एस0 एस0 सी0 की बोर्ड परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए हिन्दी भाषा में उत्तीर्ण होना अनिवार्य है । राज्य सरकार प्रतिवर्ष लगभग डेढ़ करोड़ रुपये से अधिक हिन्दी पंडितों के वेतन के लिए व्यय करती हैं । हर पंचवर्षीय योजना में केन्द्रीय सरकार की सहायता से हिन्दी पंडितों के पद (पोस्ट्स) बनाए जाते हैं और योजना के अंत में उस व्यय का भार राज्य सरकार वहन करती है । चतुर्थ पंचवर्षीय योजना के अंत तक संपूर्ण व्यय केन्द्रीय सरकार उठा रही थी, किंतु अब पाँचवी पंच वर्षीय योजना के आरंभ से संपूर्ण व्यय का भार राज्य सरकार उठा रही है । हाल में ही केन्द्रीय सरकार के नौ लाख रुपयों के अनुदान से 400 हिन्दी पंडितों के पद बनाये गये हैं । राज्य सरकार अधिक से अधिक हिन्दी पंडितों को नियुक्त करने का यथा-साध्य प्रयत्न कर रही है ।

(1) भाषा नीति :

केन्द्रीय सरकार के त्रिभाषा सिद्धान्त को प्रयोग में लानेवाला पहला राज्य आन्ध्र प्रदेश है । संपूर्ण आन्ध्र प्रदेश में हिन्दी का अध्ययन तथा अध्यापन द्वितीय भाषा के रूप में किया जाता है । पाँचवीं कक्षा से लेकर दसवीं कक्षा तक हिन्दी का अध्ययन अनिवार्य है ।

(2) हाईस्कूल तथा अध्यापकों की संख्या :

आन्ध्र प्रदेश में 3262 माध्यमिक पाठशालाएँ हैं, लगभग 6,000 अप्पर प्राइमरी पाठशालाएँ हैं । इन सभी पाठशालाओं में 5,764 हिन्दी अध्यापक काम

कर रहे हैं । इन पाठशालाओं में लगभग 10,65,092 विद्यार्थी माध्यमिक शालाओं में हिन्दी की शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं । (18)

हिन्दी के अध्यापन के अतिरिक्त राज्य सरकार हैदराबाद और नेल्लूर में प्रशिक्षण महाविद्यालयों को चला रही है, जहाँ लगभग 200 प्रशिक्षित अध्यापक तथा विद्यार्थी प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं ।

(3) आन्ध्र प्रदेश में हिन्दी माध्यम के स्कूल तथा कालेज :

आन्ध्र प्रदेश मूलतः तेलुगु भाषी प्रान्त होने पर भी नगरद्वय (हैदराबाद एवं सिकन्दराबाद) तथा अन्य जिलों में हिन्दी माध्यम के 30 हाईस्कूल हैं । हैदराबाद में हिन्दी माध्यम का डिग्री कालेज भी है । राज्य सरकार उन्हें पूर्ण अनुदान देकर प्रोत्साहित कर रही है । आन्ध्र प्रदेश के 21 जिलों में 18 हिन्दी विद्यालय हैं, जिनको सरकार ने मान्यता और अनुदान प्रदान किया है । इन विद्यालयों में अनेक छात्र-छात्रायें हिन्दी का अध्ययन कर रहे हैं । छात्र दक्षिण भारत हिन्दी प्रचार सभा, हैदराबाद तथा हैदराबाद हिन्दी प्रचार सभा द्वारा संचालित परीक्षाओं में सम्मिलित हो रहे हैं । दक्षिण भारत हिन्दी प्रचार सभा (आन्ध्र) तथा हिन्दी प्रचार सभा, हैदराबाद दोनों संस्थाएँ हिन्दी की परीक्षाओं का संचालन करके उपाधियाँ प्रदान करती हैं । राज्य सरकार इन दोनों संस्थाओं को अनुदान देती हैं ।

(4) हिन्दी की पाठ्यपुस्तकें :

यहाँ द्वितीय भाषा हिन्दी तथा प्रथम भाषा हिन्दी की पाठ्यपुस्तकों का राष्ट्रीयकरण हुआ है । हिन्दी माध्यम की भाषेतर विषयों की पाठ्यपुस्तकों का भी

राष्ट्रीयकरण हुआ है । राज्य सरकार इनका प्रकाशन करती है ।

(5) विश्वविद्यालयों में हिन्दी :

आन्ध्र प्रदेश के तीन विश्वविद्यालयों में हिन्दी अध्ययन एवं अध्यापन की व्यवस्था है । प्रतिवर्ष करीब दो सौ छात्र एम0 ए0 (हिन्दी) कक्षा में अध्ययन करते हैं । प्राइवेट बैठनेवाले छात्रों के साथ करीब चार सौ छात्र प्रति वर्ष हिन्दी एम0 ए0 परीक्षा उत्तीर्ण करते हैं । इन विद्यालयों में अनुसंधान की व्यवस्था भी है । अनुसंधान करनेवाले छात्रों को भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय द्वारा अहिन्दी भाषा भाषी छात्रों को दी जानेवाली छात्र-वृत्तियाँ प्राप्त हो रही हैं । उस्मानिया विश्वविद्यालय में हिन्दी विभाग की स्थापना सन् 1949 में हुई और सन् 1953 में अनुसंधान कार्य की व्यवस्था की गई । 1975 तक इस विश्वविद्यालय से 32 छात्रों को पी0 एच0 डी0 की उपाधि प्राप्त हो चुकी हैं और 30 शोधकर्ता विभिन्न विषयों पर शोधकार्य कर रहे हैं । वेंकटेश्वर एवं आन्ध्र/के प्रत्येक विश्वविद्यालय से 50 से अधिक छात्रों को पी0 एच0 डी0 की उपाधि प्राप्त हो चुकी है ।

इस संदर्भ में हमें खेद के साथ यह कहना पड़ता है कि आन्ध्र प्रदेश के किसी भी विश्वविद्यालय से भी आजतक हिन्दी शिक्षण सम्बन्धी शोधकार्य नहीं हुआ है । विश्वविद्यालय, शैक्षणिक संस्थाएँ एवं सरकार इस ओर किसी प्रकार का ध्यान न देना ही इसका एक प्रधान कारण हो सकता है ।

निष्कर्ष :

इस अध्याय में शोधकर्ता ने हिन्दी भाषा के विभिन्न महत्वपूर्ण अंशों पर प्रकाश डालते हुए हिन्दी के राष्ट्रभाषा का वास्तविक स्थान को दर्शाने का प्रयत्न किया है ।

राष्ट्रभाषा हिन्दी का स्थान अक्षुण्ण है । भारतीय संविधान में हिन्दी को जो स्थान मिलना चाहिए, वह सैद्धान्तिक रूप से मिल गया है परंतु इसका व्यवहारिक पक्ष बहुत ही कमज़ोर है । हिन्दी को अनिश्चित समय तक वनवास प्राप्त हुआ ।

केन्द्रीय प्रशासन की इस नीति का प्रभाव प्रान्तीय सरकार, जनता, अध्यापक एवं विद्यार्थियों पर रहना स्वाभाविक है ।

एक ओर केन्द्रीय सरकार हिन्दी के प्रसार एवं प्रचार के लिए अहिन्दी प्रान्तों को आर्थिक सहायता देती है तो दूसरी ओर अनिश्चित समय तक राष्ट्रभाषा को व्यवहारिक स्थान नहीं देना तो भाषा की समस्या को वास्तव में संदिग्धावस्था में डालना है ।

शोधकर्ता ने संविधान में हिन्दी के स्थान को दर्शाते हुए आन्ध्र प्रदेश सरकार की भाषा नीति की चर्चा इसीलिए की है कि इसका प्रभाव आन्ध्र प्रान्त की जनता, अध्यापक और छात्रों पर पड़ता है । अध्यापक सरकार की भाषा नीति को दृष्टि में रखकर छात्रों को हिन्दी कैसे सिखाना है और छात्रों को स्वयं हिन्दी सीखने में किन-किन समस्याओं एवं कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा, इसका विवरण आगामी अध्यायों में दिया गया है ।

****

सहायक ग्रन्थ सूची

(1) सम्पादक मंडल : भाषा शिक्षण तथा भाषा विज्ञान (किशोरीलाल शर्मा) केन्द्रीय हिन्दी संस्थान आगरा, 1969 पृ0 191

(2) बाबूराम सक्सेना : सामान्य भाषा विज्ञान, हिन्दी साहित्य सम्मेलन, प्रयाग, शक् 1883, पृ0 6

(3) श्रीधर मुकर्जी : राष्ट्रभाषा की शिक्षा, आचार्य बुक डिपो, बड़ौदा, 1965 पृ0 2

(4) बल्लार्ड, पी0 बि0 : थाट् एण्ड लाँग्वेज, लन्दन, यूनिवर्सिटी आफ लन्दन प्रेस, 1934, पृ0 6

(5) भोलानाथ तिवारी : भाषा विज्ञान, किताब महल, इलाहाबाद, 1957 पृ0 2

(6) मरियो, ए0 पाई : दि स्टोरी आफ लाँग्वेज, पृ0 188

(7) रमन बिहारी लाल : हिन्दी शिक्षण, रस्तोगी एण्ड कम्पनी, मेरठ, 1974, पृ0 7

(8) भाई योगेन्द्रजीत : हिन्दी भाषा शिक्षण, डा0 रामधारीसिंह दिनकर, विनोद पुस्तक मंदिर, आगरा, 1974, पृ0 40

(9) संपादक : : रजत जयंति,ग्रन्थ, बम्बई हिन्दी विद्यापीठ, मार्च 1963, पृ0 65

(10) संपादक : : आर्गेनैजर, साप्ताहिक, दिल्ली, 3 सितंबर, 1967

(11) संपादक : : गवेषणा, केन्द्रीय हिन्दी संस्थान, आगरा, मार्च 1966 पृ0 7

(12) रामशकल पाण्डेय : हिन्दी शिक्षण, विनोद पुस्तक मंदिर, आगरा, 1975 पृ0 1

(13) रामशकल पाण्डेय : हिन्दी शिक्षण, विनोद पुस्तक मन्दीर, आगरा, 1975 पृ0 2

(14) भारत सरकार : इण्डियन कान्सिट्ट्यूशन, अध्याय 351

(15) सीताराम शास्त्री : शिक्षा का माध्यम, ऐतिहासिक सिंहावलोकन, साहित्य परिचय, (भाषा विशेषांक) 1968, पृ0 117

(16) भट्ट एवं अग्रवाल : एडुकेशनल डाक्युमेंट्स इन इण्डिया 1813-1968 (सेकण्डरी एडुकेशन कमीशन)

(17) भारत सरकार शिक्षा मंत्रालय : शिक्षाआयोग की रिपोर्ट (1964-66) अष्टम अध्याय 1968, पृ0 212-218

(18) आन्ध्र प्रदेश सरकार : तेलुगु वाणी (विशेषांक) मार्कण्डेय शास्त्री जी, डायरेक्टर फॉर ओरिएण्टल लॉग्वेजेस, का भाषण, पृ0 182

****